राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ, जयपुर

आदेश

एकलपीठ दाण्डिक विविध जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-6660 /06
मिश्री लाल उर्फ मिश्र्या व श्रीमती फूलवती बनाम राजस्थान राज्य

दिनांक: 20 .10.2006

माननीय न्यायाधिपति श्री जितेन्द्र राय गोयल

श्री अनुराग शर्मा ,अधिवक्ता अभियुक्त-प्रार्थीगण की ओर से
श्री एम एल गोयल , विद्वान लोक अभियोजक वास्ते राज्य

अभियुक्त- प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत इस अग्रिम जमानत के प्रार्थना पत्र पर अभियुक्त-प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान लोक अभियोजक की बहस सुनी गयी तथा दौरान बहस प्रस्तुत प्रलेखीय सामग्री व पत्रावली का अवलोकन किया गया।

विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त- प्रार्थीगण की ओर से तर्क दिया गया है कि इस मामले में पुलिस द्वारा अन्वेषण के बाद उनके विरूद्ध अन्तिम नेगेटिव रिपोर्ट दी गयी थी तथा अन्य सह अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप लगाकर उनकी अन्वीक्षा की जा रही थी इसी बीच अभियुक्त प्रार्थीगण के विरूद्ध धारा 319 जाप्ता फौजदारी में सम्बन्धित अन्वीक्षा न्यायालय द्वारा धारा 498-ए व 306 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध का प्रंसज्ञान लेते हुए उन्हें जरिये गिरफ्तारी वारन्ट से तलब किया गया है जबकि उनके विरूद्ध कोई मामला ही नहीं है। उनका यह भी तर्क है कि अन्य सह अभियुक्तगण जिनके विरूद्ध अन्वीक्षा चल रही है, वे जमानत पर हैं।

विद्वान लोक अभियोजक ने प्रार्थना पत्र का विरोध किया तथा तर्क दिया कि अभियुक्त- प्रार्थीगण के विरूद्ध उपयुक्त सामग्री पाते हुए ही सम्बन्धित न्यायालय द्वारा धारा 319 जाप्ता फौजदारी पर धारा 498-ए 306 भारतीय दण्ड

संहिता के अपराध का प्रसंज्ञान लेकर उन्हें जरिये वारन्ट गिरफ्तारी से तलब करने का आदेश दिया गया है।

इस मामले में यह स्वीकृत स्थिति है कि अभियुक्त- प्रार्थीगण के विरूद्ध पुलिस द्वारा बाद अन्वेषण अन्तिम नेगेटिव रिपोर्ट दी गयी थी तथा अन्य सह अभियुक्तगण के विरूद्ध चल रही अन्वीक्षा में अन्तर्गत धारा 319 जाप्ता फौजदारी पर धारा 498-ए व धारा 306 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध का प्रसंज्ञान लेते हुए उन्हें जरिये वारन्ट गिरफ्तारी से तलब किया गया है।

इस प्रक्रम पर गुणावगुण पर विशेष विवेचन न करते हुए तथा प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए यह अग्रिम जमानत का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अभियुक्त- प्रार्थीगण मिश्री लाल उर्फ मिश्र्या व श्रीमती फूलवती के विरूद्ध प्रसारित गिरफ्तारी वारन्ट के स्थान पर उनको जरिये जमानतीय वारन्ट रूपये दो हजार से तलब किये जाने का आदेश दिये जाते हैं।

(**न्या0 जितेन्द्र राय गोयल**)